



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 43]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 16 फरवरी 2026—माघ 27, शक 1947

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्र. एफ. GAD-49-0001-2026-GAD-10

भोपाल, दिनांक 16 फरवरी 2026

जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, माननीय उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इंदौर द्वारा याचिका क्रमांक WP.No. 247/2026 एवं इसके साथ संलग्न चार अन्य याचिकाओं यथा, WP.No. 50628/2025, 50641/2025, 50646/2025 एवं 496/2026 में दिनांक 27.01.2026 को दिए गए निर्देशों के अनुपालन में इंदौर नगर में प्रदूषित जल आपूर्ति के घटनाक्रम की विस्तृत समीक्षा कर निष्कर्ष, सुझाव एवं अनुशंसाएं प्रस्तुत करने हेतु, राज्य शासन, एतद्वारा, माननीय उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति श्री सुशील कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में एकल सदस्यीय जांच आयोग का गठन करता है।

2. आयोग, इस अधिसूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से चार सप्ताह के बाद अपना अंतरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा।
3. आयोग का मुख्यालय इंदौर होगा।
4. आयोग निम्नलिखित बिन्दुओं पर जांच करेगा और एक रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत करेगा:-

(क) जल प्रदूषित होने के कारण:-

(एक) क्या भागीरथपुरा में आपूर्ति किया गया पेयजल प्रदूषित था?

(दो) प्रदूषित पेयजल का स्रोत और प्रकृति (सीवेज का प्रवेश, औद्योगिक डिस्चार्ज, पाईप लाईन क्षति आदि)।

(ख) सार्वजनिक स्वास्थ्य की स्थिति:-

- (एक) दूषित पानी के कारण प्रभावित निवासियों की मृत्यु की वास्तविक संख्या;
- (दो) रिपोर्ट की गई बीमारी की प्रकृति;
- (तीन) मेडिकल रिस्पांस एवं निवारक उपायों की पर्याप्तता;
- (चार) सुरक्षित पेयजल सुनिश्चित करने के लिए तत्काल उठाये जाने वाले आवश्यक कदम;
- (पांच) दीर्घकालिक अधोसंरचनात्मक एवं निगरानी सुधारों हेतु सुझाव;
- (छह) भागीरथपुरा जल प्रदूषण घटना के लिए प्रथम दृष्टया जिम्मेदार पाये गए अधिकारियों एवं पदाधिकारियों की पहचान करना और उन पर जिम्मेदारी तय करना;
- (सात) प्रभावित निवासियों में विशेष रूप से कमजोर वर्गों को मुआवजे के लिए दिशानिर्देशों का सुझाव देना।

5. आयोग की शक्तियां - आयोग को निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होंगी:-

- (एक) पदाधिकारियों और गवाहों को समन कर बुलाना;
- (दो) सरकारी विभागों, अस्पतालों, प्रयोगशालाओं और नागरिक निकायों से अभिलेख मंगवाना;
- (तीन) मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं के माध्यम से जल गुणवत्ता परीक्षण किये जाने के आदेश देना;
- (चार) स्थल निरीक्षण करना ।

6. अनुदेशों के पालन के संबंध में निर्देश -

जिला प्रशासन/ नगरपालिक निगम इंदौर, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग और मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सहित समस्त राज्य संस्थाएं जांच आयोग को पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगी और आयोग द्वारा मांगे गये सभी अभिलेख (रिकार्ड) उपलब्ध कराएंगे।

7. संभाग आयुक्त इंदौर, आयोग को कार्यालय हेतु स्थान, कर्मचारीवृंद और लॉजिस्टिक संबंधी सहायता उपलब्ध कराएंगे।

8. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिनेश कुमार मौर्य, अपर सचिव.